

दिनांक - 318-16/16

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक
श्रवण दिनांक

85

1. सुधाकर आयु लगभग 52 वर्ष पिता रामचन्द्र सालवे
निवासी मोहल्ला राजपुरा साबुनवाले के सामने
बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. धनजी आयु 60 वर्ष पिता बापु
निवासी ग्राम बोरीखुर्द तहसील नेपानगर जिला
बुरहानपुर म.प्र.

- उत्तरदाता

पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की
धारा 50 के अन्तर्गत

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :-

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय
नेपानगर, जिला बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 09अ
13/2014-15 पक्षकार " धनजी पिता बापु विरुद्ध सुधाकर पिता
रामचन्द्र" में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2015 से
पीड़ित एवं दुःखी होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष
प्रस्तुत करता है :-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

1. यहकि ग्राम नसीराबाद प.ह.नं. 13 रा.नि.मं
आसीर तहसील नेपानगर विकासखंड बुरहानपुर जिला बुरहानपुर
में स्थित कृषिक्षेत्र खसरा नंबर 518 रकबा 1.62 हेक्टर वाली
कृषिभूमि उत्तरदाता/आवेदक के नाम से दर्ज है। उक्त खेतों में
बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कृषि कार्य के लिए आने-जाने का
रूढ़िगत एवं परंपरागत रास्ते में तथाकथित रूप से
पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के द्वारा बाधा उत्पन्न करने एवं रास्ता
रोक दिये जाने से रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्र



Debate di
25/11/16
25-1-16
25-1-16

SRD

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 378-पीबीआर/2016 जिला बुरहानपुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>